कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमाक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2021–22/ दिनांक : – 20.09.21

स्मरण पत्र

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय),

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान

विषय :– वर्ष 2021–22 में अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (N.S.P.) पर समस्त INO/DNO का आधार आधारित प्रमाणीकरण करने एवं संस्थाओं का के.वाई.सी.(KYC) करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 04.08.2021, 12.08.21, 01.09.21 व निदेशालय का अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 31.08.21

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको पूर्व मे निर्देशित किया गया था कि आपके अधीन समस्त संस्थान/जिला नोडल अधिकारियों (INO/DNO) को L-1 & L-2 स्तर से विद्यार्थियों **के आवेदन सत्यापन करने से पहले आधार आधारित प्रमाणीकरण** (Aadhaar based demographic authentication) एनएसपी पोर्टल (NSP Portal) पर **करना अनिवार्य है।** परन्तु आज दिनांक वांछित सूचना मे प्रगति अति न्यून है। **राजस्थान मे संचालित राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयो एवं शिक्षण संस्थाओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, केवाईसी अपडेशन, आधार आथेन्टीफिकेशन नही होने के कारण बड़ी संख्या मे छात्रवृति का लाभ छात्र छात्राओं को नही मिल पा रहा है।** राजस्थान सरकार के अल्प संख्यक मामलात विभाग ने भी अपने पत्र द्वारा इस कार्य मे अविलंब प्रगति लाने बाबत् निर्देशित किया है। ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। अतः आपको पुनः पाबंद किया जाता है कि अविलंब अपने साथ साथ अपने जिले के समस्त INOS का आधार प्रमाणीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों द्वारा वांछित सूचना प्रेषित करें।

Rajasthan Education Department

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2021–22/ दिनांक : – 20/09/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. सयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय सयुंक्त निदेशक ,स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके मण्डल के अधीनस्थ जिलों संस्थाओं का के.वाई.सी.(KYC) पंजीकरण की प्रकिया को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय स्तर से भी प्रभावी प्रबोधन व निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्पयूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर